भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1314

11.12.2023 को उत्तर के लिए

गज: रिपोर्ट

1314. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 2010 में प्रस्तुत हाथी टास्क फोर्स की (गज) रिपोर्ट की सिफारिशों पर कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और मौजूदा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ परियोजना की तर्ज पर हाथी परियोजना लागू करने का निर्णय लिया है;

(ग) हाथी अभयारण्यों में पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों और 'नो-गो' जोनों की स्थिति, साथ ही बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं से उत्पन्न संभावित खतरों से हाथियों के आवासों की रक्षा के लिए लागू किए गए उपाय क्या हैं;

(घ) हाथी संरक्षण और सुरक्षा के लिए बजट आवंटन और उपयोग, जिसमें विभिन्न संरक्षण गतिविधियों के लिए व्यय का विवरण शामिल है, कितना है

(ड.) देश में प्राणी उद्यानों के अलावा, राज्य-वार, मानव कैद में रखे गए हाथियों की कुल संख्या कितनी है; और

(च) पिछले पांच वर्षों के दौरान बिजली के झटके से कितने हाथियों की मौत हुई?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाथी कार्यबल रिपोर्ट, 2010 'गज' की सिफारिशों के आधार पर कई उपाय किए हैं। मौजूदा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के समान राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण (एनईसीए) के गठन के बारे में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एससी एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति की 74वीं बैठक के दौरान चर्चा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि बाघ परियोजना (पीटी) और हाथी परियोजना (पीई) अर्थात् दोनों केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को एक में मिलाकर बाघ और हाथी परियोजना (पीटी एंड ई) बनाये जाने के परिणामस्वरूप जिससे कि संसाधनों को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकें और इसके अलावा दोनों परियोजनाओं के कार्यकरण और

निष्पादन को सुदृढ़ करने के लिए 'प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट (पीटी एंड ई) डिवीजन' नामक एक नए प्रभाग का सृजन किए जाने के कारण भी अब एनईसीए के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) हाथियों के संरक्षण हेतु ध्यान केंद्रित करने और उनके बीच तालमेल रखने के लिए और मानव-हाथी संघर्ष को कम से कम करने के लिए संकटग्रस्त हाथी पर्यावासों को 'हाथी रिजर्व' के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना मंत्रालय में गठित संचालन समिति के अनुमोदन से जारी की गयी है। अब तक हाथी प्रमुख 14 राज्यों में 33 हाथी रिजर्व बनाए गए हैं। इन हाथी रिजर्वों का उन बाघ रिजर्वों, वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित वनों के साथ ओवरलैप होता है जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और अन्य राज्य स्थानीय अधिनियमों के तहत संरक्षित हैं। अवसंरचना विकास परियोजनाओं से संबंधित कार्यकलापों को मौजूदा लागू अधिनियमों, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

(घ) से (च): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हाथियों, उनके पर्यावास और गलियारों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम- बाघ और हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है ताकि देश में मानव-हाथी-संघर्ष और बंदी हाथियों के कल्याण के मुद्दों का समाधान किया जा सके। उपरोक्त गतिविधियों के लिए आवंटित और उपयोग किए गए बजट का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। जनवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार प्राणी उद्यानों के अलावा देश में बंदी हाथियों का ब्यौरा और वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के बीच करंट लगने से हुई हाथियों की मृत्यु का ब्यौरा क्रमश **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

'गज रिपोर्ट' के संबंध में श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा दिनांक 11.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1314 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

केंद्र प्रायोजित योजना - बाघ और हाथी परियोजना के तहत बजट आवंटित और जारी किया गया बजट

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2020-21	35.00	25.00	24.96
2021-22	33.00	32.00	30.26
2022-23	35.00	16.36	16.30
2023-24*	336.80	245.00	75.70 (दिनांक 06.12.2023 तक)

* **बाघ परियोजना और हाथी परियोजना को** वित्त वर्ष 2023-24 से एक ही में विलय कर दिया गया है और अब इसे बाघ और हाथी परियोजना के नाम से जाना जाता है।

अनुबंध-II

'गज रिपोर्ट' के संबंध में श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा दिनांक 11.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1314 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

देश में बंदी हाथियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	निजी हिरासत में हाथी
1.	हरियणा	1
2.	दिल्ली	4
3.	केरल	518
4.	पश्चिम बंगाल	100
5.	तमिलनाडु	135
6.	ओडिशा	13
7.	उत्तर प्रदेश	98
8.	कर्नाटक	146
9.	राजस्थान	113
10.	झारखंड	10
11.	असम	902
12.	पुदुचेरी	2
13.	बिहार	64
14.	मेघालय	8
15.	पंजाब	16
16.	दादर एवं नगर हवेली	0
17.	चंडीगढ़	0
18.	लक्षद्वीप	0
19.	महाराष्ट्र	11
20.	मणिपुर	0
21.	गोवा	10
22.	आंध्र प्रदेश	0
23.	त्रिपुरा	64
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप	63
25.	छत्तीसगढ	9
26.	गुजरात	52
27.	उत्तराखंड	28
28.	मध्य प्रदेश	98
29.	अरुणाचल प्रदेश	109
30.	नगालैंड	15
कुल		**2589**

अनुबंध-III

'गज रिपोर्ट' के संबंध में श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा दिनांक 11.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1314 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

पिछले पांच वर्षों के दौरान करंट लगने से हुई हाथियों की मृत्यु

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	2	5	1	एन.आर.	5
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	एन.आर.	1
3	असम	9	11	13	12	8
4	छत्तीसगढ	6	2	7	4	9
5	झारखंड	1	5	5	4	6
6	कर्नाटक	9	8	9	7	15
7	केरल	6	4	2	6	7
8	महाराष्ट्र	0	0	एन.आर.	0	0
9	मेघालय	0	5	0	1	1
10	नगालैंड	4	2	1	1	0
11	ओडिशा	24	9	8	13	26
12	तमिलनाडु	10	15	9	5	14
13	त्रिपुरा	एन.आर.	0	0	0	0
14	उत्तर प्रदेश	3	3	0	2	0
15	उत्तराखंड	3	2	एन.आर.	एन.आर.	3
16	पश्चिम बंगाल	4	5	10	2	5
कुल		**81**	**76**	**65**	**57**	**100**

***एनआर- राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।**

****